


# कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

## विज्ञप्ति

सर्व साधारण के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है कि शासन द्वारा अपने पत्र संख्या-1085/15-7-2024 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ, दिनांक: 12 सितम्बर, 2024 के द्वारा छात्रहित में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की शैक्षिक सत्र 2024-25 के कक्षा-9/11 के संस्थागत अभ्यर्थियों के विद्यालयों में पंजीकरण शुल्क प्राप्त करने व ऑनलाइन पंजीकरण कराने की पूर्व निर्धारित तिथियों को निम्नवत् संशोधित किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। उक्त के क्रम में सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि निम्नांकित नवीन संशोधित तिथियों के अनुरूप शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा-9/11 का अग्रिम पंजीकरण ऑनलाइन अपलोड कराये जाने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करायें :-

कक्षा-9 एवं 11 के अग्रिम पंजीकरण	नवीन प्रस्तावित तिथि
1- संस्था के प्रधान द्वारा कक्षा-9 एवं 11 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण शुल्क रु0 50/- (रुपये पचास मात्र) प्रति छात्र की दर से चालान के माध्यम से कोषागार में एकमुश्त जमा करने एवं जमा किये गये पंजीकरण शुल्क की सूचना तथा छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरणों को परिषद की वेबसाइट <a href="http://upmsp.edu.in">upmsp.edu.in</a> पर ऑनलाइन अपलोड करने की अन्तिम तिथि।	20 सितम्बर, 2024 (मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)
2- वेबसाइट पर आनलाइन अपलोड किये गये छात्र/छात्राओं के विवरणों की चेकलिस्ट प्राप्त कर संस्था के प्रधान द्वारा उनके विवरणों (नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय, फोटो आदि) को भली-भांति चेक (जाँच) करने की अवधि। इस अवधि में वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का अपडेशन प्रतिबन्धित रहेगा।	21 सितम्बर से 23 सितम्बर, 2024 तक
3- ऑनलाइन अपलोड किये गये छात्रों के विवरणों में जांचोपरान्त यदि किसी प्रकार का संशोधन वांछित है तो उसे संस्था के प्रधान द्वारा पुनः वेबसाइट पर संशोधित/अपडेट करने की अवधि। इस अवधि में किसी नवीन छात्र का विवरण अपलोड/स्वीकार नहीं किया जायेगा। केवल संशोधन ही स्वीकार किये जायेंगे।	24 सितम्बर से 27 सितम्बर, 2024 (मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)
4- संस्था के प्रधान द्वारा पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटोयुक्त नामावली एवं तत्सम्बन्धी कोषपत्र की एक प्रति परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि।	05 अक्टूबर, 2024 तक।

  
(भगवती सिंह)  
सचिव


पृष्ठांकन संख्या-मा0शि0प0/सिस्टम सेल/405(1-6)

दिनांक: 13.09.2024

उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- प्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्र के सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति जनहित से सम्बन्धित है। अतएव इसे अपने दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 2- विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति, मा0शि0प0, शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
- 5- अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), पत्राचार शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 6- अपर शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
- 7- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 9- अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ/बरेली/प्रयागराज/वाराणसी/गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करायें।
- 10- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति अपने जनपद में व्यापक रूप से प्रसारित करायें। संस्था के प्रधान द्वारा सभी अभ्यर्थियों के पंजीकरण शुल्क का कोषपत्र 5 प्रतियों में तैयार करके अपने ही जनपद के कोषागार में जमा किया जायेगा। कोषपत्र की दो प्रति कोषागार में, एक प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक के पास, एक प्रति नामावली के साथ परिषद कार्यालय को प्रेषित की जायेगी तथा एक प्रति संस्था के प्रधान द्वारा विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद के समस्त संस्था से संकलित कोषपत्रों का सत्यापन अधिकतम एक माह के अन्दर कोषागार से कराया जायेगा, सत्यापन की वस्तुस्थिति/संस्तुति से परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय सचिव/सचिव को अवगत कराया जायेगा। संस्था के प्रधान द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात वेबसाइट से डाउनलोड की गयी नामावली तथा कोषपत्र की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा की जायेगी।

जिला विद्यालय निरीक्षकगण समस्त विद्यालयों से इस आशय का एक प्रमाणपत्र भी लेंगे कि उनके विद्यालय में सत्र 2024-25 के कक्षा-9/11 के सभी छात्र/छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण आवेदन की वेबसाइट पर अपलोड कराये जा चुके हैं तथा एक भी छात्र/छात्रा का आवेदन अपलोड होने से छूटा नहीं है।

  
(भगवती सिंह) 12/9/2024  
सचिव